

वाहन स्क्रैपिंग नीतिलाँच

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में नविशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए [वाहन स्क्रैपिंग](#) नीति/राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया।

- शिखर सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य वाहन स्क्रैपिंग नीतिके तहत वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढाँचे की स्थापना के लिये नविश को प्रोत्साहित करना है।
- सरकार द्वारा **मार्च 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति** की घोषणा की गई थी।
- इस नीतिके तहत 51 लाख हल्के मोटर वाहन (LMV) शामिल होने का अनुमान है जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और अन्य 34 लाख LMV 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं।

HOW PROCESS WILL UNFOLD

A vehicle older than 20 years, if found unfit or registration certificate is not renewed, will be de-registered


Registered owners to hand over such vehicles to a Registered Vehicle Scrapping Facility with certificate of the vehicles' registration, their PAN details, and other documents

Scrapper to verify records of the vehicles from database of the stolen vehicles and issue a Certificate of Deposit, mandatory for the owner to avail incentives


The certificate once used will be stamped "Cancelled" by the agency

Government will maintain a database of the vehicles scrapped every year


INCENTIVES FOR VEHICLE OWNERS




Scrap value:
4-6% of ex-showroom price of new vehicle to be given to the owner by the scrapping centre




Tax rebate:
States may be advised to offer a road tax rebate of up to 25% for personal vehicles and up to 15% for commercial vehicles against



Discount on new vehicle:
Vehicle manufacturers will be advised to give 5% discount on new vehicles against a scrapping certificate



Fee waiver:
Registration fees may also be waived for purchase of new vehicle against the scrapping certificate



प्रमुख बढि

लक्ष्य:

- पुराने व खराब वाहनों की संख्या को कम करना, वायु प्रदूषकों को कम करना, [सड़क और वाहनों की सुरक्षा](#) में सुधार करना।

प्रावधान:

- **फटिनेस परीक्षण:**
 - पुराने वाहनों को पुनः पंजीकरण से पहले एक फटिनेस टेस्ट पास करना होगा और नीतिके अनुसार सरकारी वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने तथा नजी वाहन जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।

- पुराने वाहनों का परीक्षण अधिकृत ऑटोमेटेड फटिनेस सेंटर में किया जाएगा और केवल आयु के आधार पर उन्हें स्क्रैप नहीं किया जाएगा।
 - एमशिन टेस्ट, ब्रेकगि सस्टिम, सेफ्टी कंपोनेंट्स की जाँच की जाएगी तथा फटिनेस टेस्ट में फेल होने वाले वाहनों को रद्द कर दिया जाएगा।
 - यदि पुराना वाहन परीक्षण पास कर लेता है, तो मालिक उसका उपयोग जारी रख सकता है, लेकिन उसके पुनः पंजीकरण के लिये शुल्क बहुत अधिक होगा।
 - केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने स्क्रैपिंग सुविधाओं, उनकी शक्तियों और पालन की जाने वाली स्क्रैपिंग प्रक्रिया हेतु पंजीकरण प्रक्रिया के लिये भी नियम जारी किये हैं।
- **सड़क कर छूट:**
 - राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे पुराने वाहनों के मालिकों को पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये नज्दी वाहनों के लिये 25% तक तथा वाणज्यिक वाहनों के लिये 15% तक की रोड-टैक्स छूट प्रदान करें।
- **वाहन छूट:**
 - वाहन निर्माता उन लोगों को भी 5% की छूट देंगे जो 'स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट' का उपयोग करेंगे और नए वाहन की खरीद पर पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया जाएगा।
- **हतोत्साहन:**
 - प्रारंभिक पंजीकरण तथि से 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वाहनों के लिये बढ़ा हुआ पुनः पंजीकरण शुल्क लागू होगा, जिससे लोग हतोत्साहित होंगे।

महत्त्व:

- **स्क्रैप यारड का निर्माण:**
 - इससे देश में अधिक स्क्रैप यारड का निर्माण होगा और पुराने वाहनों के कचरे में सुधार होगा।
 - भारत को पछिले वर्ष के दौरान 23,000 करोड़ मूल्य के स्क्रैप स्टील का आयात करना पड़ा क्योंकि भारत में बहुत सीमति मात्रा में का स्क्रैपिंग होती है और भारत ऊर्जा तथा दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की प्राप्ति में सक्षम नहीं है।
- **रोज़गार:**
 - नए फटिनेस सेंटरों में 35 हजार लोगों को रोज़गार मलिंगा और 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
- **बेहतर राजस्व:**
 - यह भारी और मध्यम वाणज्यिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देगा जो [आईएल एंड एफएस \(इन्फ्रासट्रक्चर लीज़िंग एंड फाइनेंशियल सर्विसिज़\)](#) के दवालिया होने और [कोवडि -19 महामारी](#) से उत्पन्न आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप संकुचन की स्थिति में थे।
 - इस नीति से सरकारी खजाने को [वस्तु एवं सेवा कर \(जीएसटी\)](#) के ज़रिये करीब 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए मलिन की उम्मीद है।
- **कीमती में कमी:**
 - धातु और प्लास्टिक के पुरजों के पुनर्चक्रण से ऑटो घटकों की कीमती में भारी गरिवट आएगी।
 - जैसे-जैसे स्क्रैप की गई सामग्री सस्ती होगी वाहन निर्माताओं की उत्पादन लागत भी कम होगी।
- **प्रदूषण को कम:**
 - यह वाहनों की संख्या के आधुनिकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाएगा क्योंकि यह देश भर में अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद करेगा एवं एक [चक्रीय अर्थव्यवस्था](#) तथा [वेस्ट टू वेल्थ मशिन](#) को बढ़ावा देगा।
 - चूँकि पुराने वाहन 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और अनुमानतः 17 लाख मध्यम और भारी वाणज्यिक वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं।

वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिये अन्य पहलें:

- [गो इलेक्ट्रिक अभियान](#)
- [फेम इंडिया योजना चरण II](#)
- [दलिली के लिये इलेक्ट्रिक वाहन \(ईवी\) नीति, 2020](#)
- [हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और कार परियोजना](#)
- [नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मशिन 2020](#)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस